न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 6/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/33

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
गोदावरी उर्फ गोदी देवी पुत्री रूगाराम पत्नी पुखराज जाति श्रीगौड़ ब्राह्मण निवासी खिंवाड़ा तहसील रानी जिला पाली (राज.)		1. वजाराम पुत्र श्री रूगाराम 2. रामलाल पुत्र श्री रूगाराम जातिगण श्रीगौड़ ब्राह्मण, निवासी खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.) 3. भूमिधारी तहसीलदार पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गहलोत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **11.08.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार रोहट द्वारा ग्राम खैरवा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 06.07.2001 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राकेश गहलोत व अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 विनोद चौधरी की ओर से आज आदेश दिनांक को लिखित बहस पेश की गई। बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 02 और अपीलाण्ट की माता प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद मात्र उनके भाइयों रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 व अपीलाण्ट की माता के नाम जैर नामान्तकरण भर दिया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी अपीलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने आज दिनांक 11.08.2025 को अपनी लिखित बहस पेश कर अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण

नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण सन् 2001 में स्वीकृत किया गया है एवं सन् 2001 में पिता की विरासत में पुत्रियों को हक नहीं दिया जाता था। अतः जैर अपील काबिले खारिज है। अपीलाण्ट के विवाह एवं सभी खर्च मायके आदि के सभी खर्च भी आज दिनांक तक रेस्पोडेण्ट्स द्वारा ही वहन किये जा रहे है, जिससे भी जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। अतः जैर अपील सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपील विलम्बित होने का कथन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट का रूगाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है, जिससे प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट मृतक रूगाराम की पुत्री है एवं उसके द्वारा ग्राम खैरवा I के विवादित नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 06.07.2001 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह भी है कि जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया।

जैर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की सम्पति में पुत्री का हक भी होता है एवं उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट का मृतक रूगाराम की पुत्री होना निर्विवाद एवं स्वीकृत स्थिति है एवं अपीलाण्ट्स जो कि पुत्री है, उसे इससे पूर्व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण के सन्दर्भ में पूर्व में किसी ने सूचित किया हो या उसे जानकारी हो इसका भी कोई तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण मौलिक एवं स्थापित विधि के विरूद्ध एक पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से बिना सुनवाई वंचित किया गया है। अतएव पटवार हल्का खैरवा I का जैर नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 06.07.2001 प्रथम–दृष्ट्या अविधिक है तथा अपास्त किये जाने के लिए पात्रता रखता है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पटवार हल्का खैरवा I का जैर नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 06.07.2001 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। साथ ही पुत्रियों को उत्तराधिकारी मानते समय विडम्बनापूर्ण तथ्य यह लिखा जाता है कि उसके परिवार के सामाजिक सरोकारों को पीहर पक्ष ने परिपूर्ण किया इससे से वह पिता की संपति में उत्तराधिकार नहीं रखती, यह कदापि विधि सम्मत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों से किसी पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

समग्रतः हम पटवार हल्का खैरवा I का जैर नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 06.07.2001 जो कि अपीलाण्ट को उसके विधिक उत्तराधिकार से वंचित करता है, अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित करते है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनकर अपीलाण्ट के विधिक उत्तराधिकार की हद तक उसकी विरासत के नामान्तरकरण का विनिश्चियन करे तथा उसे, उसके हक तक की उसकी पैतृक संपति में उत्तराधिकार बाबत् नियमानुसार विधिक एवं नये सिरे से निर्णय पारित करे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.09.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **11.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली